50

संख्या– — /I/2016-03(01)/26/2010

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांकः** 02 सितम्बर ~~अगस्त,~~ **2016**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1448 दिनांक 27.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद में संलग्न संलग्नक–1 के विवरणानुसार निर्माणाधीन 12 लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु राज्यांश **रू0 524.00 लाख (पांच करोड़ चौबीस लाख मात्र)** की धनराशि आयोजनागत मद में संलग्नक–2 में वर्णित लेखाशीर्षकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि तभी एवं उसी मात्रा में आहरित कर व्यय की जायेगी जहां जैसा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुदान/सब्सिडी दिये जाने को अनुमन्य किया गया हो, अन्यथा धनराशि आहरित/व्यय नहीं की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरण कर उसे 31–03–2017 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।
3. व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. केन्द्र पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को भी समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।
5. धनराशि का व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ ही किया जाय तथा धनराशि के व्यय के उपरान्त कराये गये कार्यों का विवरण शासन के समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाएगा।
6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. योजनान्तर्गत सम्बन्धित योजनाओं/कार्यों हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति भी समय से कर ली जायेगी तथा योजना/कार्यवार प्राप्त केन्द्रांश का विवरण तथा तद्क्रम में प्रत्येक योजना/कार्यवार कुल लागत/ व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये केन्द्रांश व राज्यांश का विवरण भी शासन में वित्त विभाग को समय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

27

क्रमशः---

8. उक्त योजनाओं पर उक्त धनराशि राज्यांश के विपरीत अवमुक्त की जा रही है और अवमुक्त राज्यांश तब ही व्यय किया जाएगा, जब केन्द्र सरकार अपने अंश के विपरीत धनराशि अवमुक्त कर देगी अथवा स्वीकृत कर देगी। केन्द्र पोषित योजनाओं में धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। जिन योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त होता है उनके सापेक्ष केन्द्रांश अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
9. उक्त योजनाओं के सापेक्ष अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय एवं कार्य स्थल पर भौतिक प्रगति का प्रमाण पत्र तथा भारत सरकार एवं आर.ई.सी. से अवशेष केन्द्रांश/ऋण प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाणित अभिलेख शासन को त्रैमासिक उपलब्ध कराया जाय।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
11. संलग्न विवरणानुसार लेखा शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जल विद्युत की रिनोवेशन आदि योजनाओं में लाभार्थी अंश की व्यवस्था कर ली गई हो तथा राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि, परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–21, 30 एंव 31 के अंतर्गत लेखाषीर्शक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–आयोजनागत की संलग्नक–2 में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे में डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 847 दिनांक 26.07.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोक्त।

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0: 633 /I/2016-03(01)/26/2010,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
5– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
7– सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।